जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Reshu Satyaprakash Natani W/o Archit Puri R/o 1202,Tower 6, Vipul Belmonte, Golf Course Road, Near Central Plaza Mall, Sector 53, VTC: Gurgaon Sector 56, Haryana-122011 have changed my name to Reshu Natani Puri

0071066481-1

I, Sunaina Ashra W/o Raaghav Ashrra R/o H-10 2nd Floor, Old Double Storey, Lajpat Nagar-4, Lajpat Nagar, South Delhi, Delhi-110024 have changed my name to Sunainaa Ashrra

0071066547-1

I,hitherto known as,PRADEEP BATURA,S/O-KASTURI LAL BATURA R/O House No.97,Gagan Vihar,Krishna Nagar,East Delhi-110051,have changed my name,and shall hereafter be known as,PRADEEP KUMAR BATURA.

0040884296-1

I, Parul Sehgal D/o Yugal Kishore Sehgal W/O Animesh Sood R/o Flat No.806,7thFloor, Tower No.24, Commonwealth Games Village, Akshardham Temple, LaxmiNagar,Delhi, have change my name to Parul Sehgal Sood.

0071066426-1

I, SAKSHAM SINGH JADON ,S/O NIRUPAM KR SINGH, R/O A-2/64A,GALI NO-14,PHASE-5 AYA NAGAR NEW DELHI-47 ,HAVE CHANGED MY NAME TO SAKSHAM SINGH FOR ALL FUTURE PURPOSES.

0050299967-1

I Harmandeep son of Satnam Singh Passport No. C3111621 and valid until 16.12.2034 resident of Vill. Mahal Khurd, SBS Nagar, PIN 144518 , Punjab, India, have changed my name Harmandeep and surname Harmandeep

0040884295-1

I, KAMAL KISHOR S/o Radheshyam, R/o 299, Bata Gali, Sultanpur, UP, declare KAMAL KAUSHAL, KAMAL KISHOR & KAMAL KISHORE are one identical person, father of ADITYA KAUSHAL, vide affidavit IN-UP35718188283744Y dated 13-Oct-2026 before Notary Sultanpur.

0130070428-1

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

रक्षक सिक्यूरिटास प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएनः U43900DL2007PTC163229)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : टी–5, मनीष प्लाजा III, प्लॉट नंबर 12, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए **15 अक्तूबर 2026** को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

टी–5, मनीष प्लाजा III, प्लॉट नंबर 12, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

रक्षक सिक्यूरिटास प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/–

विनय कुमार सिंह

(निदेशक)

दिनांक : 19.10.2026

स्थान : नई दिल्ली

डीआईएन : 01470849

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा

राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जरूरी सूचना क्यों नहीं देते

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार को अब तक यह जानकारी नहीं दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित करने के फैसले को किस तरह लागू किया जा रहा है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, अगर फैसले में कही गई हमारी बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहने वाली हैं, तो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मौलिक अधिकार को कैसे लागू करेंगे? पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मासिक धर्म की स्वच्छता और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा घोषित किया है। यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। इसने कहा कि एक सितंबर को उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे अदालत की ओर से चिह्नित की गईं खामियों पर ध्यान दें और सुनवाई की अगली तारीख तक इस संबंध में रिपोर्ट पेश करें।

शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में 13 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया था कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से यह बताने को कहा है कि अदालत के फैसले को किस तरह लागू किया जा रहा है। पीठ ने कहा,

> *न्यायमूर्ति* जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, अगर फैसले में कही गई हमारी बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहने वाली हैं, तो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मौलिक अधिकार को कैसे लागू करेंगे?' पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मासिक धर्म की स्वच्छता और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा घोषित किया है।

दुर्भाग्य से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक केंद्र सरकार को कोई जवाब नहीं दिया है। हमें यह समझ नहीं आता कि जब केंद्र सरकार जरूरी जानकारी मांगती है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जवाब क्यों नहीं देते। इसने कहा, हमें विश्वास है कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे उस फैसले के महत्व को समझ चुके होंगे, जिसमें मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित किया गया है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह फैसला उन लड़कियों के हित में है, जो मासिक धर्म की स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

न्यायालय के अनुसार, यह समस्या खास तौर पर देश के दूरदराज के इलाकों में देखने को मिलती है। पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाए और लिखित रूप में यह जानकारी मांगे कि इस अदालत के फैसले को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

मणिपुर : उग्रवादियों ने 24 घंटों में 28 घरों को फूंका

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

मणिपुर के कामजोंग जिले में 24 घंटों के दौरान अलग–अलग घटनाओं में 28 घरों में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध उग्रवादियों ने नगा और कुकी दोनों समुदायों की बस्तियों को निशाना बनाया, जिसके चलते आम लोगों को अपने घर छोड़कर जंगलों और पास के एक सैन्य शिविर में शरण लेनी पड़ी। म्यांमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पिलोंग और स्किप गांवों में रविवार को अज्ञात उपद्रवियों ने नगा समुदाय के लोगों के 13 खाली घरों में आग लगा दी।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है, इस घटना के संबंध में जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। म्यांमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पिलोंग सहित नगा गांवों पर हुए पिछले हमलों के बाद, इन घरों को खाली कर दिया गया था। रविवार सुबह एक अलग घटना में, उखरुल जिले के लिटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर ग्वालताबी और महादेवा के बीच जा रही एक कार पर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात कामजोंग जिले के चासाद गांव में कुकी समुदाय के 15 घरों में आग लगा दी गई जिसके कारण बड़ी संख्या में आम लोगों को जंगलों और पास के सैन्य शिविर में शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावित इलाके में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और कामजोंग पुलिस की संयुक्त टुकड़ी तैनात की गई है। उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने चासाद में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कुकी समुदाय के लोगों की मौत पर दुख जताया और घायल ग्रामीण नेताओं एवं विस्थापित परिवारों को लेकर चिंता व्यक्त की।

सभी रेलवे स्टेशनों पर 22 को रेल जन संवाद

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (ब्यूरो)।

भारतीय रेलवे देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों पर 22 अक्तूबर को 'रेल जन संवाद' का आयोजन करेगा। रेल मंत्रालय की ओर से यह पहल विशेष अभियान–6 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य रेलवे और आम नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने के साथ यात्रियों तथा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। युवाओं को अपनी बात रखने के लिए 'रेल जन युवा संवाद' के माध्यम से अलग मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी जोनल प्रभारियों को पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक, विशेष अभियान के तहत 31 अक्तूबर तक एक लाख स्थानों पर सफाई, सात लाख वर्ग फुट जगह खाली कराने और कबाड़ के निपटान से 600 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरौली, विकास खण्ड ददरौल, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना (2026-2027)

सभी पंजीकृत फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य वित्त आयोग/ केंद्रीय वित्त आयोग, ग्राम निधि, OSR, SLWM, RGSA, ICDS, VB-G RAM G (मनरेगा) आदि की धनराशि से सीसी रोड, नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग रोड, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, गौशाला में पशु शेड, गोदाम निर्माण व अन्य कार्य, शॉक पिट, खाद्यान्न भंडारण भवन, कंपोस्ट पिट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल, RRC सेंटर आदि कार्यों के निर्माण / मरम्मत कार्य, ऑपरेशन कायाकल्प के समस्त कार्य, हैंडपंप रिबोर, हैंड पंप मरम्मत, विभिन्न स्थानों पर मिटटी कार्य, अमृत सरोवर, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, CSC सेंटर निर्माण, वृक्षारोपण, ओपन जिम, आदि कार्यों के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक सामग्री यथा प्रथम श्रेणी ईंट, मोरंग, बालू, सरिया, सीमेंट, इंटरलॉकिंग ब्रिक, रेता, बजरी, बजरफुट, टाइल्स, सेनेटरी सामग्री, विद्युत सामग्री, ह्यूम पाइप, स्प्रे मशीन, फागिंग मशीन, सफाई किट, पीपीई किट, ई रिक्शा, ठेली, हैंड पंप मरम्मत सामग्री, हैंड पंप रिबोर सामग्री, एलइडी स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सोलर इनवर्टर बैटरी आदि, ओपन जिम आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु सील बंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 22.10.2026 के दोपहर 01 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दोपहर 03 बजे तक खोली जाएगी। बिना किसी अग्रिम सूचना के टेंडर को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

प्रशासक **सचिव**

कार्यालय ग्राम पंचायत पिंगरी पिंगरा, विकास खण्ड ददरौल, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना (2026-2027)

सभी पंजीकृत फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य वित्त आयोग/ केंद्रीय वित्त आयोग, ग्राम निधि, OSR, SLWM, RGSA, ICDS, VB-G RAM G (मनरेगा) आदि की धनराशि से सीसी रोड, नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग रोड, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, गौशाला में पशु शेड, गोदाम निर्माण व अन्य कार्य, शॉक पिट, खाद्यान्न भंडारण भवन, कंपोस्ट पिट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल, RRC सेंटर आदि कार्यों के निर्माण / मरम्मत कार्य, ऑपरेशन कायाकल्प के समस्त कार्य, हैंडपंप रिबोर, हैंड पंप मरम्मत, विभिन्न स्थानों पर मिटटी कार्य, अमृत सरोवर, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, CSC सेंटर निर्माण, वृक्षारोपण, ओपन जिम, आदि कार्यों के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक सामग्री यथा प्रथम श्रेणी ईंट, मोरंग, बालू, सरिया, सीमेंट, इंटरलॉकिंग ब्रिक, रेता, बजरी, बजरफुट, टाइल्स, सेनेटरी सामग्री, विद्युत सामग्री, ह्यूम पाइप, स्प्रे मशीन, फागिंग मशीन, सफाई किट, पीपीई किट, ई रिक्शा, ठेली, हैंड पंप मरम्मत सामग्री, हैंड पंप रिबोर सामग्री, एलइडी स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सोलर इनवर्टर बैटरी आदि, ओपन जिम आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु सील बंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 22.10.2026 के दोपहर 11 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दोपहर 01 बजे तक खोली जाएगी। बिना किसी अग्रिम सूचना के टेंडर को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

प्रशासक **सचिव**

कार्यालय ग्राम पंचायत कपसेड़ा, विकास खण्ड ददरौल, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना (2026-2027)

सभी पंजीकृत फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य वित्त आयोग/ केंद्रीय वित्त आयोग, ग्राम निधि, OSR, SLWM, RGSA, ICDS, VB-G RAM G (मनरेगा) आदि की धनराशि से सीसी रोड, नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग रोड, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, गौशाला में पशु शेड, गोदाम निर्माण व अन्य कार्य, शॉक पिट, खाद्यान्न भंडारण भवन, कंपोस्ट पिट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल, RRC सेंटर आदि कार्यों के निर्माण / मरम्मत कार्य, ऑपरेशन कायाकल्प के समस्त कार्य, हैंडपंप रिबोर, हैंड पंप मरम्मत, विभिन्न स्थानों पर मिटटी कार्य, अमृत सरोवर, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, CSC सेंटर निर्माण, वृक्षारोपण, ओपन जिम, आदि कार्यों के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक सामग्री यथा प्रथम श्रेणी ईंट, मोरंग, बालू, सरिया, सीमेंट, इंटरलॉकिंग ब्रिक, रेता, बजरी, बजरफुट, टाइल्स, सेनेटरी सामग्री, विद्युत सामग्री, ह्यूम पाइप, स्प्रे मशीन, फागिंग मशीन, सफाई किट, पीपीई किट, ई रिक्शा, ठेली, हैंड पंप मरम्मत सामग्री, हैंड पंप रिबोर सामग्री, एलइडी स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सोलर इनवर्टर बैटरी आदि, ओपन जिम आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु सील बंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 22.10.2026 के दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दोपहर 02 बजे तक खोली जाएगी। बिना किसी अग्रिम सूचना के टेंडर को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

प्रशासक **सचिव**

Bank of India

Relationship beyond banking

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि : 26.11.2026

बैंक ऑफ इण्डिया - नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा

तृतीय तल, स्टार हाउस, पीवीआर प्लाजा के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

संपर्क : 011–23755605 ई–मेल : assetrecovery.newdelhi@bankofindia.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिनका कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित ई–नीलामी के माध्यम से "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" एवं "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर 26.11.2026 **को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक** बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)	बोली वृद्धि राशि (रु. में)
1.	**कर्जदारः मोहन जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का परिसमापन हो चुका है) गारंटरः 1. श्री मुरारीलाल सोनी 2. श्री मुकेश सोनी 3. श्रीमती सीता देवी 4. श्रीमती ज्योति सोनी 5. श्रीमती हर्ष सोनी 6. मेसर्स गंगा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड**	प्लॉट नंबर 10, ब्लॉक बी पर बनी आवासीय–सह–व्यावसायिक संपत्ति (जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल शामिल हैं), जो 3324ए, गली नंबर 26, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल हर मंजिल पर 50 वर्ग गज (पूर्वी तरफ) है और यह श्री मुकेश सोनी तथा श्री मुरारी लाल सोनी की संयुक्त संपत्ति है।	सांकेतिक	4,32,00,000.00 (रुपये चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र)	43,20,000.00 (रुपये तैंतालीस लाख बीस हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		संपत्ति नंबर 2746, दूसरी मंजिल (बिना छत/टेरेस के अधिकारों के), जो गली नंबर 23 की तरफ है। यह प्लॉट/खसरा नंबर 34, ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है और यह श्री मुरारी लाल सोनी की संपत्ति है।	भौतिक	1,65,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)	16,50,000.00 (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		संपत्ति नंबर 2746, तीसरी मंजिल (छत/टेरेस के अधिकारों के साथ), जो गली नंबर 23 की तरफ है। यह प्लॉट/खसरा नंबर 34, ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है और यह श्री मुरारी लाल सोनी की संपत्ति है।	भौतिक	1,55,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र)	15,50,000.00 (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		संपत्ति नंबर 2746, प्राइवेट नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकारों के बिना), सरस्वती मार्ग की ओर मुख वाला, प्लॉट/खसरा नंबर 34 पर बना, ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है; यह संपत्ति श्री मुकेश सोनी की है।	भौतिक	2,32,00,000.00 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख मात्र)	23,20,000.00 (रुपये तेईस लाख बीस हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		व्यावसायिक परिसर (ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल - छत के अधिकारों सहित), नंबर 17–बी/1, खसरा नंबर 1491/152, ब्लॉक–17–बी, देश बंधु गुप्ता रोड, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग गज है; यह संपत्ति श्री मुरारी लाल सोनी की है।	सांकेतिक	4,00,00,000.00 (रुपये चार करोड़ मात्र)	40,00,000.00 (रुपये चालीस लाख मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		संपत्ति नंबर 2746 (पहली मंजिल, छत के अधिकारों के बिना), गली नंबर 22 की ओर, प्लॉट/खसरा नंबर 34 पर बनी, ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है; यह संपत्ति श्री मुकेश सोनी की है।	भौतिक	2,30,00,000.00 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)	23,00,000.00 (रुपये तेईस लाख मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		संपत्ति नंबर 2746 (दूसरी मंजिल, छत के अधिकारों के बिना), गली नंबर 22 की ओर, प्लॉट/खसरा नंबर 34 पर बनी, ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है; यह संपत्ति श्री मुकेश सोनी की है।	भौतिक	1,70,00,000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र)	17,00,000.00 (रुपये सत्रह लाख मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		सम्पत्ति नंबर 2746 (तीसरी मंजिल, छत के अधिकारों के साथ), जो गली नंबर 22 की तरफ है और प्लॉट/खसरा नंबर 34 (ब्लॉक–पी, गली नंबर 22–23, वार्ड नंबर XVI) पर बनी है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है और यह बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 में स्थित है। इसके मालिक श्री मुकेश सोनी हैं।	भौतिक	1,50,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)	15,00,000.00 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		सम्पत्ति नंबर 2747 (वार्ड नंबर XVI, गली नंबर 22–23, प्लॉट/खसरा नंबर 35, ब्लॉक–पी, नईवाला, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली) जिसका क्षेत्रफल 222 वर्ग गज है। इसके संयुक्त मालिक श्री मुकेश सोनी और श्री मुरारी लाल सोनी हैं।	भौतिक	11,10,00,000.00 (रुपये ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र)	1,11,00,000.00 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
2.	**कर्जदारः दिल्ली डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का परिसमापन हो चुका है) गारंटरः 1. श्री मुरारीलाल सोनी 2. श्री मुकेश सोनी 3. श्रीमती सीता देवी 4. श्रीमती ज्योति सोनी**	वाणिज्यिक सम्पत्ति (प्राइवेट नंबर जी–1), ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकारों के बिना)। यह सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 3162–64 (वार्ड नंबर XVI, ब्लॉक–पी) का हिस्सा है, जो प्लॉट नंबर 99, खसरा नंबर 2731/2616 पर बनी है। यह बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है और इसके मालिक श्री मुकेश सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी	भौतिक	5,94,00,000.00 (रुपये पाँच करोड़ चौरानवे लाख मात्र)	59,40,000.00 (रुपये उनसठ लाख चालीस हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		वाणिज्यिक सम्पत्ति (प्राइवेट नंबर जी–2), ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकारों के बिना)। यह सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 3162–64 (वार्ड नंबर XVI, ब्लॉक–पी) का हिस्सा है, जो प्लॉट नंबर 99, खसरा नंबर 2731/2616 पर बनी है। यह बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है और इसके मालिक श्री मुकेश सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी।	भौतिक			
		वाणिज्यिक सम्पत्ति (प्राइवेट नंबर जी–3), ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकारों के बिना)। यह सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 3162–64 (वार्ड नंबर XVI, ब्लॉक–पी) का हिस्सा है, जो प्लॉट नंबर 99, खसरा नंबर 2731/2616 पर बनी है। यह बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है और इसके मालिक श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी हैं।	भौतिक			
		नई दिल्ली के करोल बाग स्थित बस्ती रेघर, बीडन पुरा, हरध्यान सिंह रोड पर मौजूद वाणिज्यिक सम्पत्ति का पूरा दूसरा फ्लोर। यह सम्पत्ति प्लॉट नंबर 14 और खसरा नंबर 2833/2614 पर बनी है, जिसका म्युनिसिपल नंबर 3015 और वार्ड नंबर XVI (ब्लॉक–ओ) है। इसकी मालकिन श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी ।	भौतिक	1,45,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)	14,50,000.00 (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)
		नई दिल्ली के करोल बाग स्थित बस्ती रेघर, बीडन पुरा, हरध्यान सिंह रोड पर मौजूद वाणिज्यिक सम्पत्ति का पूरा तीसरा फ्लोर। यह सम्पत्ति प्लॉट नंबर 14 और खसरा नंबर 2833/2614 पर बनी है, जिसका म्युनिसिपल नंबर 3015 और वार्ड नंबर XVI (ब्लॉक–ओ) है। इसकी मालकिन श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी।	भौतिक	1,35,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)	13,50,000.00 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)

नियम एवं शर्तें:

(1) नीलामी बिक्री/बोली केवल **https://baanknet.com** वेबसाइट के माध्यम से "**ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली**" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।

(2) इच्छुक बोलीदाताओं को **https://baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर/चालान फॉर्म (**https://baanknet.com**) के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।

(3) नीलामी की तिथि और समयः 26.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।

(4) संपत्ति का निरीक्षण 24.11.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है।

(5) ई–नीलामी ऊपर बताए गए अनुसार आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।

(6) इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में सुचारू भागीदारी के लिए **https://baanknet.com** पर 26.11.2026 को 04.45 बजे अप. तक आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों के साथ **BAANKNET EMD** वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी यानी आरक्षित मूल्य का 10% जमा करना चाहिए।

(7) उच्चतम/सफल बोलीदाता को खरीद राशि की 25% राशि (पहले से भुगतान की गई ईएमडी यानी बोली राशि का 10%) सहित तुरंत लेकिन बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के अगले कार्य दिवस (बैंकिंग घंटों के दौरान) तक जमा करनी होगी, जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

(8) क्रय राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन (बैंकिंग समय के दौरान) या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत किसी विस्तारित अवधि में तथा पूरी तरह से उसके विवेक पर देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी/बैंक नीलामी को रद्द करके नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(9) संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा तथा बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।

(10) अधिकृत अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी बोली को स्वीकार कर ले या सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे (यदि वे स्वीकार्य न हों), अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित (आगे के लिए)/बंद कर दे या नीलामी की शर्तों में बदलाव कर दे; इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

(11) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें –**https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3**

(12) यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को 30 दिन की सूचना भी है।

(13) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ई–नीलामी के लिए सूचीबद्ध संपत्ति "जैसी है, जहाँ है", "जो है, यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बेची जा रही है, इसलिए संपत्ति से संबंधित सभी बकाया राशि (यदि कोई हो) नीलामी क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।

(14) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांकः 19.10.2026, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय ग्राम पंचायत परासिन, विकास खण्ड ददरौल, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना (2026-2027)

सभी पंजीकृत फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य वित्त आयोग/ केंद्रीय वित्त आयोग, ग्राम निधि, OSR, SLWM, RGSA, ICDS, VB-G RAM G (मनरेगा) आदि की धनराशि से सीसी रोड, नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग रोड, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, गौशाला में पशु शेड, गोदाम निर्माण व अन्य कार्य, शॉक पिट, खाद्यान्न भंडारण भवन, कंपोस्ट पिट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल, RRC सेंटर आदि कार्यों के निर्माण / मरम्मत कार्य, ऑपरेशन कायाकल्प के समस्त कार्य, हैंडपंप रिबोर, हैंड पंप मरम्मत, विभिन्न स्थानों पर मिटटी कार्य, अमृत सरोवर, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, CSC सेंटर निर्माण, वृक्षारोपण, ओपन जिम, आदि कार्यों के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक सामग्री यथा प्रथम श्रेणी ईंट, मोरंग, बालू, सरिया, सीमेंट, इंटरलॉकिंग ब्रिक, रेता, बजरी, बजरफुट, टाइल्स, सेनेटरी सामग्री, विद्युत सामग्री, ह्यूम पाइप, स्प्रे मशीन, फागिंग मशीन, सफाई किट, पीपीई किट, ई रिक्शा, ठेली, हैंड पंप मरम्मत सामग्री, हैंड पंप रिबोर सामग्री, एलइडी स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सोलर इनवर्टर बैटरी आदि, ओपन जिम आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु सील बंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 23.10.2026 के दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दोपहर 02 बजे तक खोली जाएगी। बिना किसी अग्रिम सूचना के टेंडर को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

प्रशासक **सचिव**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

शाखा–बागपत, मेरठ रोड, बागपत, उत्तर–प्रदेश – 250609

ईमेलः b0971@psb.bank.in

1. श्री शेरदीन पुत्र श्री मोहम्मद अजीज (उधारकर्ता), पताः मकान नं. 8/114, नई बस्ती पट्टी चौधरान, टाउन बड़ौत, जिला–बागपत– 250611

2. श्रीमती रिहाना पत्नी श्री शेरदीन (गारंटर), पताः मकान नंबर 8/114, नई बस्ती पट्टी चौधरान, टाउन बड़ौत, जिला–बागपत– 250611

3. श्री रहीस खान पुत्र अजीज खान (गारंटर), पताः गांव हलालपुर, तहसील और जिला–बागपत

संदर्भः शाखा–बागपत के श्री शेरदीन के खाते (खाता संख्या 09711200000088) के संबंध में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) के अंतर्गत आपको निहित विमोचन अधिकार तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के अनुसार विमोचन हेतु सूचना

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत सुरक्षित परिसंपत्ति में सुरक्षा हित के प्रवर्तन के उपाय के रूप में 29.05.2024 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया है।

तत्पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए, दिनांक 11.12.2025 को सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्जा ले लिया।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उधारकर्ताओं और गारंटरों से बैंक को देय ऋणों की वसूली के लिए ई–नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों की संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) के संबंध में है, कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के अंतर्गत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना के प्रकाशन या पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

ई–नीलामी तिथि एवं समय :	**18.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक**
निरीक्षण की तिथि	**16.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि :	**17.11.2026 सायं 4:00 बजे तक**
उधारकर्ता और गारंटर का नाम	**उधारकर्ताः श्री शेरदीन पुत्र श्री मोहम्मद अजीज गारंटरः 1) श्रीमती रिहाना पत्नी श्री शेरदीन 2) श्री रहीस खान पुत्र अजीज खान**
मांग सूचना की तिथि और राशि खाता विवरण	**29-05-2025** और रु. **5,04,995.47** (रु. पाँच लाख चार हजार नौ सौ पिच्यानवे और पैसे सैंतालीस मात्र) + दिनांक 01.05.2025 से भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि
16.10.2026 तक कुल बकाया	रु. **5,51,414.47** (रु. पाँच लाख इक्यावन हजार चार सौ चौदह और पैसे सैंतालीस मात्र)

सम्पत्ति का विवरण	मूल्य (लाख में)
आवासीय मकान क्षेत्रफल 71.07 वर्ग मीटर या 85 वर्ग गज मकान नंबर 8/174, नई बस्ती पट्टी चौधान, कस्बा बड़ौत, जिला बागपत – 250611 संपत्ति का विवरणः मूल बिक्री विलेख (सेल डीड), जो 07.03.2014 को उप–पंजीयक (सब–रजिस्ट्रार) कार्यालय, बागपत में पंजीकृत है। इसका विवरण इस प्रकार हैः बही नंबर–1, जिल्द नंबर–4434, पृष्ठ 263 से 290, सीरियल नंबर– 2964 संपत्ति की सीमाएं: उत्तर – चंद्र वाल्मीकि का मकान, दक्षिण – 8 फुट चौड़ा रास्ता, पूर्व – राकेश शर्मा का मकान, पश्चिम – मुन्नी का मकान	**रु. 13.49 लाख**

प्राधिकृत अधिकारी